

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

जी.एन.टी.एस.टी. परीक्षा - 2008

जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सेलेक्शन टेस्ट - 2008

म.प्र. राज्य के लिए

महत्वपूर्ण जानकारी

1. पात्रता : प्रवेश हेतु केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी । पात्रता की शर्तों के लिए राज्य शासन द्वारा जारी चयन नियम अध्याय-1 की कंडिका 1.3 देखें ।
2. परीक्षा शहर : भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर ।
3. आवेदन-पत्रों की उपलब्धता : दिनांक 05-03-08 से दिनांक 24-03-08 के मध्य आवेदन-पत्रों का विक्रय सामान्य/पिछड़ा वर्ग के लिए रुपए 300 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रुपए 150 के नगर भुगतान पर मंडल काउंटर, भोपाल तथा निम्नलिखित शहरों में चिन्हित संस्थाओं से :
 1. जबलपुर : कला निकेतन पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, शा.मो.ह. गृह विज्ञान महाविद्यालय, शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय ।
 2. रीवा : इंजीनियरिंग महाविद्यालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, शा. ठाकुर रणमतसिंह महाविद्यालय ।
 3. उज्जैन : पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय ।
 4. ग्वालियर : डॉ. बी. आर. अम्बेडकर पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, आदर्श विज्ञान महाविद्यालय ।
 5. इंदौर : एस.जी.एस.आई.टी.एस., श्री वैष्णव पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला ।
 6. विदिशा : एस. ए. टी. आई. (डिग्री) ।
 7. भोपाल : शासकीय गीतांजली कन्या महाविद्यालय ।
 8. बालाघाट : शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय ।
 9. बैतूल : शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय ।
 10. धार : शासकीय कन्या महाविद्यालय ।
 11. खण्डवा : श्री नीलकण्ठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ।
 12. सतना : शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय ।

- | | | | |
|-----|------------|---|--|
| 13. | शहडोल | : | शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय । |
| 14. | देवास | : | शा. एस.के.पी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय । |
| 15. | सागर | : | शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, स.रा.शास. महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय । |
| 16. | छतरपुर | : | शासकीय महाराजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय । |
| 17. | छिन्दवाड़ा | : | शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय । |
| 18. | गुना | : | शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय । |
| 19. | होशंगाबाद | : | शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय । |
| 20. | मन्दसौर | : | राजीव गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय । |
| 21. | टीकमगढ़ | : | शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय । |
| 22. | रतलाम | : | शासकीय कन्या महाविद्यालय । |

डाक द्वारा प्रेषण : केवल मंडल कार्यालय, भोपाल से ही डाक द्वारा आवेदन-पत्र मंगाये जा सकते हैं। इसके लिये सादे कागज पर लिखित आवेदन के साथ निर्धारित राशि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी रु. 350/- तथा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी रु. 200/- का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का क्रासड बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक जो म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के नाम एवं भोपाल में देय हों, संलग्न करके डाक के केवल मण्डल कार्यालय, भोपाल से आवेदन-पत्र एवं नियम पुस्तिका मंगवा सकते हैं। ऐसे आवेदन मंडल कार्यालय में दिनांक 24-3-08 तक प्राप्त हो जाना चाहिये। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। भरा हुआ आवेदन-पत्र दिनांक 31-03-08 तक मंडल कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से अथवा व्यक्तिगत हस्ते प्राप्त हो जाना चाहिये। विलम्ब से प्राप्त आवेदन-पत्रों को निरस्त माना जायेगा।

परीक्षा तिथि : रविवार 4 मई 2008

विषय - सूची

	कंडिका	पृष्ठ क्र.
- महत्वपूर्ण जानकारी		1
अध्याय - 1 : चयन के लिए नियम		5
- सामान्य	1	5
- सीटों का आरक्षण	1.2	5
- प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें	1.3	6
- शैक्षणिक अर्हता	1.3.2	9
- चयन प्रक्रिया	1.4	10
- प्रवेश हेतु एवं काउंसिलिंग	1.5	11
- चयनोपरान्त पी.टी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य	1.6	13
- प्रवेश रद्द करना	1.7	13
- प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम तथा प्रशिक्षणार्थियों हेतु रिक्त स्थान	परिशिष्ट-अ	15
- जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें	परिशिष्ट-ब	16
अध्याय - 2 : निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम		
- ओ.एम. आर. आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया एवं परीक्षण	2.1	17
- दस्तावेज जिन्हें आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।	2.2	17
- आवेदन-पत्र के निरस्तीकरण के कारण	2.3	18
- परीक्षा प्रवेश पत्र (Test Admit Card)	2.6	18
- परीक्षा परिणाम का प्रकाशन	2.14	20
- क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)	2.18	21
अध्याय - 3 : पाठ्यक्रम		
- जी. एन.टी.एस.टी. - 2008 प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus)		22-28
अध्याय - 4 : प्रमाण-पत्रों का प्रारूप एवं अन्य विवरण		
- परीक्षा का प्रारंभ एवं ओ.आर.एम. में उत्तर अंकित करने की विधि		29
- चेक लिस्ट		32
- भरे हुए आवेदन पत्र का नमूना		33
- ओ. एम. आर. उत्तरशीट का नमूना		35
- प्रपत्र - 01 से 9 तक		37-44

अध्याय-1

GNTST-2008

(GENERAL NURSING TRAINING SELECTION TEST)

(स्टाँफ नर्स के पद पर नियुक्ति के लिये)

संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा
जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिये
प्रवेश हेतु बनाये एवं जारी किये गये

मध्यप्रदेश शासन
चयन नियम

RULES FOR SELECTION

RULES FOR ADMISSION TO GENERAL NURSING TRAINING
IN SELECTED TRAINING CENTRES
(FOR APPOINTMENT AGAINST THE POST OF STAFF NURSES)

2008

Made and Issued by

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES
GOVT. OF MADHYA PRADESH, BHOPAL

अध्याय-1

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु

चयन के लिए नियम - 2008

1.1 सामान्य :

1.1.1 ये नियम राज्य के शासकीय अस्पतालों के जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये कहलायेंगे।

1.1.2 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में स्थित जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश चाहते हैं।

1.1.3 परिभाषाएं :

इन नियमों में -

1. श्रेणी से तात्पर्य है 3 श्रेणियों के उम्मीदवार यथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति जिनके लिये सीटें प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आरक्षित की गयी हैं।
2. राज्य शासन से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन।
3. टेस्ट से तात्पर्य है General Nursing Training Selection Test (GNTST) जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा।
4. आयुक्त / संचालक से तात्पर्य है आयुक्त/संचालक (नर्सिंग) तथा उप-संचालक से तात्पर्य है उप-संचालक(नर्सिंग), स्वास्थ्य संचालनालय।

1.2 सीटों का आरक्षण :

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलयेर को छोड़कर) श्रेणियों के लिये क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16%, 20% तथा 14% सीटों का आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा परिशिष्ट -"अ"- में दिया गया है।

टिप्पणी :-

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस आरक्षित श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण-पत्र इस परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

नोट :- प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका में जहाँ-जहाँ प्रमाण-पत्रों के प्रारूपों का उल्लेख किया गया है, ये सभी प्रारूप नियम पुस्तिका के अंत में (अध्याय-4) देखें ।

1.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) श्रेणी - ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति श्रेणी में होने का दावा करता है, उसे प्रवेश के आवंटित केन्द्र में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे :-

(अ) सक्षम अधिकारी के नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र ।

(ब) इसी नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार अपने पिता का नाम और यदि पिता जीवित न हो तो माता का नाम, यदि माता-पिता दोनों न हो तब वैध अभिभावक का नाम का शपथ-पत्र ।

(स) विवाहित लड़की के संबंध में यह शपथ-पत्र उसके पति द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा ।

(द) यदि ऐसा शपथ-पत्र किसी भी प्रकार से झूठा या गलत पाया गया तो उम्मीदवार का प्रवेश संबंधी दावा अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं यदि उसमें प्रवेश पा लिया है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा ।

1.2.2 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी क्रीमीलेयर को छोड़कर- ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति क्रीमीलेयर को छोड़कर श्रेणी में होने का दावा करता है उसे प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

1.3 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :-

1.3.1 अधिवासी संबंधी आवश्यकताएँ :-

प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगी :-

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. (क) जिसने जिस वर्ष प्रवेश चाहा है उसके ठीक 5 वर्ष की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो।

अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 के अनुसार मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हो।

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित की पुत्री हो -

1. मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुये मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी (निर्धारित प्रारूप देखें)।

अथवा

2. केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित है अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो जनवरी 2007 को अथवा उसके पूर्व की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो।
3. ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में स्थायी रूप से बस गया हो।

स्पष्टीकरण :- 1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी -उम्मीदवार मध्यप्रदेश का मूल निवासी तभी माना जावेगा जब वह नीचे दी गई दोनों शर्तों 'अ' व 'ब' की पूर्ति करेगा।

अ. वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो।

अथवा

उम्मीदवार स्वयं उसके पिता या माता यदि पिता जीवित न हो अथवा यदि माता-पिता दोनों जीवित न हो तो उसका वैध अभिभावक परीक्षा के वर्ष से ठीक पहले कम से कम पांच वर्षों से मध्यप्रदेश में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार कर रहा हो अथवा अचल सम्पत्ति रखता हो।

- ब. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था मे कम से कम तीन वर्ष तक अध्ययन किया जिसमें कक्षा चार से पूर्व शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी ।

अथवा

उसने मध्यप्रदेश स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से आठवीं कक्षा अथवा 12वीं प्रणाली की दसवीं बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

टिप्पणी :-

मध्यप्रदेश का मूल निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में संदर्भ क्रमांक जारी करने की तिथि कार्यालय सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। प्रवेश के समय अधिवासी संबंधी प्रमाण-पत्र की दोनों शर्तों 'अ' तथा 'ब' के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

स्पष्टीकरण :- 2

अभिभावक - किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित दंडाधिकारी की राय में उम्मीदवार के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उनकी अचल संपत्ति का दोनों का वास्तविक संरक्षक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :- 3

दत्तक पुत्री - यदि कोई उम्मीदवार सामान्य अथवा किसी आरक्षित संवर्ग में दत्तक पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक पुत्री होने के संबंध में समाधानकारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम पाँच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा। दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख अथवा गत पांच वर्षों से उम्मीदवार द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण-पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेखों में दर्ज उम्मीदवार के केवल पिता का नाम ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की दत्तक उम्मीदवार के मामले में यह आवश्यक होगा कि ऐसी

उम्मीदवार गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की ही रही हो।
ऐसी उम्मीदवार जो मूलतः अन्य जाति की हो तथा जिन्हें किन्हीं अनुसूचित जाति अथवा जनजाति
के व्यक्तियों ने गोद ले लिया हो, उन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को
प्राप्त सुविधा एवं लाभ की पात्रता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :-4 विकलांग उम्मीदवार के प्रावीण्यता (मैरिट) में आने की स्थिति में विकलांगता के साथ वह
उम्मीदवार स्टाफ-नर्स के पद के कर्तव्यों को निभा सकेगी अथवा नहीं, ऐसा स्पष्ट मत जिला
मेडिकल बोर्ड से लिया जाकर प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

1.3.2 शैक्षणिक अर्हता :- इन जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों से नर्सिंग में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक
शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2 की प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान
विषयों को लेकर उत्तीर्ण हो।

नोट :- 11वीं हायर सेकेण्ड्री (पुरानी पद्धति) उत्तीर्ण उम्मीदवारों को पात्रता नहीं है।

अथवा

मध्यप्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त केन्द्रीय स्कूल में 10 +2 की कक्षा भौतिकी, जीवविज्ञान एवं
रसायन विषयों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उक्त चयन में प्रवेश हेतु पात्रता होगी। केन्द्र शासित प्रदेश
अंडमान, निकोबार के नागरिकों को 4 सीटें आवंटित है। जिसके विरुद्ध अंडमान निकोबार शासन
द्वारा नाम मनोनीत कर भेजे जाते हैं।

1.3.2.1 अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों की पात्रता :- प्रवेश परीक्षा में वे छात्राएं भी
सम्मिलित हो सकती हैं जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2 पद्धति की 12वीं
कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो रही हैं, किन्तु इन छात्रों को अर्हकारी मुख्य परीक्षा
उत्तीर्ण कर प्रवेश की पात्रता सिद्ध करनी होगी। पूरक (सप्लीमेंट्री) आने पर सीट आवंटित नहीं की
जावेगी।

1.3.3 आयु सीमा:- 1 जुलाई 2007 तक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27
वर्ष होनी चाहिये। अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिये
आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

- 1.3.4 **स्पष्टीकरण :-** आयु-सीमा की गणना करते समय उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

1.4 चयन प्रक्रिया:-

- 1.4.1 जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिंग के प्रशिक्षण के चयन हेतु म.प्र. व्यवसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा (जी.एन.टी.एन.टी.) आयोजित की जावेगी। मंडल द्वारा इस परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूचियां श्रेणीवार उपलब्ध करायी जावेगी।

नोट : आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जो प्रावीण्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों के विरुद्ध गिना जावेगा, उन्हें सामान्य श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी दोनों में दर्शाया जावेगा। ऐसे उम्मीदवारों को प्रशिक्षण केन्द्रों का आवंटन संबंधित आरक्षित श्रेणी में उनकी प्रावीण्यता के आधार पर किया जावेगा। ऐसे उम्मीदवारों की संख्या के बराबर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये उपलब्ध स्थानों को अतिरिक्त रूप से संबंधित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को मेरिट क्रमानुसार प्रवेश उपलब्ध कराया जावेगा।

- 1.4.2 इन परीक्षा के लिये किसी न्यूनतम अर्हकारी अंको का प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रवेश हेतु केवल एक प्रश्न-पत्र होगा। कुल अंक भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग होगा।

टीप :- अंग्रेजी विषय में न्यूनतम अंक 25 प्रतिशत अनिवार्य न रखते हुये अंग्रेजी भाषा के प्रश्न-पत्र में प्राप्त अंकों को भी जोड़ कर प्रावीण्यता सूची तैयार की जावेगी।

- 1.4.3 **समान कुल प्राप्त अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :-** समान कुल अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी की प्रावीण्यता, विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर-निश्चित किया जायेगा। प्रथम-जीवविज्ञान, द्वितीय-रसायन, तृतीय-भौतिकी एवं चतुर्थ-अंग्रेजी।

- 1.4.4. प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा अंकों के आधार पर मंडल द्वारा निर्धारित सीटों के मान से श्रेणी अनुसार योग्यताक्रम सूचियाँ बनायी जावेंगी ।

1.5 प्रवेश हेतु काउंसिलिंग :-

- 1.5.1 मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित करते समय अंकसूची में भी उम्मीदवारों के मेरिट क्रम कर वर्गवार (ओपन कैटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ावर्ग) उल्लेख किया जावेगा। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित की जावेगी एवं मेरिट क्रमानुसार प्रवेश दिया जावेगा काउंसिलिंग का तिथिवार वर्गवार कार्यक्रम नीचे दिया गया है। उम्मीदवार परीक्षाफल अंकसूची में दर्शाए मेरिट क्रमांक के अनुसार काउंसिलिंग में उपस्थित हो। परीक्षा परिणाम घोषित होने की प्रत्याशा में निम्न तिथियाँ नियत की जाती है। काउंसिलिंग के लिये स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जावेगा।

काउंसिलिंग में उपस्थित होने का दिनांक	कैटेगरी (श्रेणी)	मेरिट क्रमांक (प्रथम चरण)
दिनांक 12-6-2008	ओपन कैटेगरी	1 से 150
दिनांक 13-06-2008	अनुसूचित जाति	1 से 50
दिनांक 13-06-2008	अनुसूचित जनजाति	1 से 70
दिनांक 13-06-2008	अन्य पिछड़ावर्ग	1 से 50
प्रतिक्षारत उम्मीदवारों की काउंसिलिंग तिथि निम्नानुसार रहेगी	कैटेगरी (श्रेणी)	प्रतिक्षा सूची में मेरिट क्रमांक (द्वितीय-चरण)
दिनांक 16-06-2008	ओपन कैटेगरी	1 से 150
दिनांक 17-06-2008	अनुसूचित जाति	1 से 50
दिनांक 17-06-2008	अनुसूचित जनजाति	1 से 70
दिनांक 17-06-2008	अन्य पिछड़ावर्ग	1 से 50

1.5.2 काउंसिलिंग में उपस्थिति अनिवार्य :-

काउंसिलिंग में जो उम्मीदवार नियत तिथि को उपस्थित नहीं होंगे उनका कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को मेरिट क्रमानुसार सीट आवंटित की जावेगी। प्रथम चरण की काउंसिलिंग दिनांक 12 एवं 13 जून के बाद केवल शेष रहीं सीटों के विरुद्ध द्वितीय चरण काउंसिलिंग में चांस लेने के लिये स्वेच्छा से दर्शाये अनुसार उपस्थित होंगे।

1.5.3 काउंसिलिंग का स्थान :- राज्य सूचना शिक्षा संचार, 1250 जय प्रकाश चिकित्सालय परिसर, तुलसी नगर, भोपाल में नियम 1.5.1 में बताई तिथियों को प्रातः 10.30 बजे से शाम 5.00 बजे तक काउंसिलिंग आयोजित की जावेगी।

1.5.4 काउंसिलिंग के लिये प्रमाण-पत्रों की सूची:- उम्मीदवारों को काउंसिलिंग में निम्न प्रमाण-पत्र साथ में लाना अनिवार्य है अन्यथा उनको कोई सीट्स आवंटित नहीं की जावेगी:-

1. 10+2 प्रणाली की कक्षा दसवी एवं बारहवीं की अंकसूची (बायोलॉजी, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र साइंस ग्रुप) प्रत्येक की दो-दो सत्यापित एवं मूल अंकसूची।
2. जाति प्रमाण-पत्र की मूलप्रति एवं दो छायाप्रति सत्यापित कराकर साथ में लावें।
3. मूल निवासी प्रमाण-पत्र की मूलप्रति एवं प्रत्येक की दो सत्यापित छायाप्रति।
4. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण-पत्र। गर्भवती उम्मीदवार को अपात्र (अनफिट) मान्य किया जावेगा।
5. जी. एन. टी. एस. टी. अंकसूची/प्रवेश पत्र मूलतः एवं दो सत्यापित छायाप्रति।

टिप्पणी :-

- (i) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा।
- (ii) काउंसिलिंग में आने के पूर्व उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि अध्याय-एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षणार्थी प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है अन्यथा काउंसिलिंग में उपस्थित न हों।
- (iii) किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।

1.5.5 प्रतीक्षासूची के उम्मीदवारों को सीट का आवंटन :-

प्रतीक्षासूची के उम्मीदवारों को रिक्त सीट्स आवंटित की जावेगी।

1.5.6 यात्रा भत्ता देय नहीं :-

उम्मीदवारों को परीक्षा एवं काउंसिलिंग में उपस्थित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

1.6 चयनोपरान्त पी.टी.एस. (प्रिलिमिरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट परीक्षा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य :

चयनोपरान्त प्रशिक्षण केन्द्रों में 3 माह के प्रशिक्षण के बाद पी.टी.एस. (प्रिलिमिरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट परीक्षा) जो कि संबंधित संस्था द्वारा ली जायेगी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस परीक्षा में असफल होने पर प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जावेगा।

1.6.1 प्रशिक्षण के उपरान्त 3 वर्ष अनिवार्य सेवा :-

साढे तीन वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरान्त नर्स के पद पर मध्यप्रदेश में कहीं भी 3 वर्ष की सेवा करना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय जो छात्रवृत्ति के रूप में देय है उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। अनबंध-पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाएगी।

1.7 प्रवेश रद्द करना :-

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर, सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार का किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में आयुक्त संचालक, चिकित्सा सेवायें का निर्णय अंतिम होगा।

1.8 चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन को :-

उम्मीदवार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी (Final Authority) रहेगा। यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.9 नियमों प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार :-

राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.10 प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम :-

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट - 'ब' में दिये गये हैं।

1.11 प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरान्त स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति एवं पद का वेतनमान :-

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने में के फलस्वरूप रूपये 4000-6000 के वेतनमान में स्टाफ नर्स के पद रिक्त होने पर प्रदेश में कहीं भी नियुक्ति प्रदान की जावेगी। प्रशिक्षण से संबंधित शेष शर्तें यथावत रहेंगी। एवं ग्रामीण क्षेत्र में 5 वर्ष सेवा करना अनिवार्य होगा।

परिशिष्ट -अ

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1/आर. प्रा., दिनांक 8 मार्च 1994 के अनुसार परिशिष्ट - द (11) में खुली प्रतियोगिता के द्वारा प्रादेशिक आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिये माडल रोस्टर के अनुसार उपलब्ध 278 सीटों का केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार रहेगा:-

क्रं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	कुल स्थान	अनारक्षित	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अन्य पिछड़ावर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)
1	2	3	4	5	6	7
1.	हमीदिया अस्प., भोपाल	35	18	5	7	5
2.	एम.वाय.अस्प., इन्दौर	41	20	7	8	6
3.	जे. ए. अस्प., ग्वालियर	41	20	7	8	6
4.	मेडि. कॉ. अस्प., जबलपुर	47	23	7	10	7
5.	जी. एम. अस्प., रीवा	32	16	5	6	5
6.	विक्टोरिया अस्प, जबलपुर	25	13	4	5	3
7.	जि. चि., छिन्दवाड़ा	10	5	2	2	1
8.	जि. चि., उज्जैन	17	9	3	3	2
9.	जि. चि., खण्डवा	10	5	2	2	1
10.	जि. चि. सागर	10	5	2	2	1
11.	जि. चि. रतलाम	10	5	2	2	1
योग		278	139	46	55	38

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें

1. जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि साढ़े तीन वर्ष की होगी।
2. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जायेगी।
4. प्रत्येक वर्ष के पश्चात् केवल एक माह का ही अवकाश मिलेगा एवं प्रति वर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा।
5. प्रशिक्षणार्थी को ड्यूटी के समय संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9/ नर्सिंग/प्रशि.-3/94/1588/1601, दिनांक 7-5-1994 के अनुसार संशोधित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा।
6. छात्राओं को कार्य (ड्यूटी समय) पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है।
9. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता-पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी।
10. प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी। प्रशिक्षणार्थी को तीन वर्ष की अवधि की छात्रवृत्ति देय होगी।
11. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये व्यवस्था और बड़े त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी। परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में, क्लास एवं क्लीनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा।
12. छात्राओं को आवांटीत पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।
13. छात्राओं को बाहर आने-जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।
14. छात्राओं का स्थानान्तरण संबंधी कार्यवाही पी.टी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त रिक्त सीट्स होने पर किया जावेगा।
15. उपरोक्त निर्देशों /शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।
16. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करनी भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा।
17. छात्राओं द्वारा रु. 75000/- (पचहत्तर हजार रुपये) का बॉण्ड भरना अनिवार्य है।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,

मध्यप्रदेश

अध्याय-2

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम

2.1 ओ.एम.आर. आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं परीक्षण :-

चौखाने नीले डाट पेन से एवं गोले में चाही गई जानकारी को केवल HB पेंसिल से भरा जावे। चौखाने में केवल अंग्रेजी के केपिटल लेटर तथा अंग्रेजी के अंक का प्रयोग करें। एक चौखाने में केवल एक अक्षर या एक अंक ही लिखा जाये। दो शब्दों में बीच में एक चौखाना खाली छोड़ें। त्रुटिवश गलत जानकारी भरने पर उसे सफाई से मिटाकर सुधार कर लें। प्रविष्टियां करने में हुई त्रुटियों के लिये अभ्यर्थी स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

महत्वपूर्ण :-

- (i) यदि ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र की किसी कंडिका में बॉक्स में भरी गई एवं इससे संबंधित गोले में भरी गई जानकारी में अंतर पाया जाता है तो गोले में पेंसिल से भरी हुई जानकारी को अंतिम माना जाएगा।
- (ii) परीक्षा सम्पन्न होने के उपरांत ओ.एम.आर. फार्म में की गई प्रविष्टि को बदलने के संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ या पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
- (iii) अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर. पत्र में निर्देशानुसार अपना फोटो चिपकाकर एवं नियत स्थान पर हस्ताक्षर कर भेजना अनिवार्य होगा। अन्यथा उसका आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा। (फोटो के पीछे अभ्यर्थी अपना नाम, शहर एवं ओ.एम.आर. आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य लिखें।)
- (iv) निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व तक डाक द्वारा, व्यक्तिगत हस्ते प्राप्त आवेदन पत्रों तथा ऑनलाईन से प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी की जाएगी। आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित) वर्ग, मूल निवासी व जन्मतिथि की प्रविष्टि के आधार पर आवेदन पत्र का परीक्षण किया जायेगा। चयनोपरान्त, अभ्यर्थी के चयन के पूर्व, मूल अभिलेखों/प्रमाणपत्रों का परीक्षण संबंधित विभाग द्वारा काउन्सलिंग/प्रवेश के पूर्व किया जावेगा।

2.2 दस्तावेज जिन्हें आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है :-

अभ्यर्थी को केवल स्वयं का पता (पिन कोड सहित) लिखा, रु. 6/- का डाक टिकट लगा एक पोस्टकार्ड

(रजिस्ट्रेशन क्रमांक सूचित करने के लिए) संलग्न करना है। इसके अतिरिक्त आवेदक कोई भी दस्तावेज संलग्न न करे।

2.3 आवेदन-पत्र के निरस्तीकरण के कारण :-

- (i) फोटो स्लिप में फोटो चस्पा न होने पर ।
- (ii) फोटो स्लिप में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर न होने पर ।
- (iii) जन्मतिथि तार्किक रूप से सही न होने पर ।
- (iv) ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में :-
 - (a) श्रेणी की जानकारी रिक्त होने पर ।
 - (b) मूल निवासी की जानकारी रिक्त होने पर ।
 - (c) जन्म तिथि की जानकारी रिक्त होने पर ।

2.4 निरस्त होने के कारणों की सूचना :-

- (i) मण्डल कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदनपत्र में आवेदक को त्रुटि सुधार का कोई भी अवसर नहीं दिया जायेगा।
- (ii) नियमानुसार निरस्त किये गये आवेदन पत्रों की जानकारी, निरस्तीकरण के कारण सहित मण्डल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध करा दी जावेगी। इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जावेगा।

2.5 जमा किये गये आवेदन-पत्र को वापस नहीं किया जायेगा:-

- (i) मण्डल कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र को किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
- (ii) किसी अन्य परीक्षा विशेष के लिए क्रय किया गया आवेदन-पत्र इस परीक्षा में मान्य नहीं होगा ।
- (iii) ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र की छायाप्रति को मान्य नहीं किया जायेगा।

2.6 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :- पूर्ण रूप से भरे हुए ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र मण्डल कार्यालय में नियमानुसार मान्य होने के उपरान्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के पूर्व परीक्षा प्रवेश-पत्र भेजा जायेगा।

- 2.7 **डुप्लीकेट टेस्ट एडमिट कार्ड (Duplicate TAC)** :- यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा के पूर्व तक परीक्षा प्रवेश-पत्र (TAC) प्राप्त नहीं होता है, तो डुप्लीकेट एडमिट कार्ड मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से डाउनलोड (Download) कर सीधे परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरान्त त्रुटि के दृष्टिगोचर होने पर मण्डल उसे रद्द/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**
- 2.8 **परीक्षा के विषय एवं प्रश्न-पत्र** :- परीक्षा में एक प्रश्न-पत्र होगा तथा प्रश्न-पत्र में 150 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर **काले बॉल प्वाइंट पेन** से काला करना होगा।
- 2.9 **पाठ्यक्रम** :- पाठ्यक्रम नियम पुस्तिका के अध्याय-3 में दर्शाया गया है। प्रतियोगी परीक्षा होने के कारण प्रश्नों का उच्च स्तरीय होना स्वाभाविक है। ऐसे प्रश्न न तो निरस्त किए जायेंगे और न ही मण्डल इस आधार पर प्रश्नों को निरस्त करने के लिए बाध्य होगा।
- 2.10 **अनुचित साधन (Unfair means, UFM)** :- परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व सुनिश्चित कर लें कि सीट पर, सीट के निकट, कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछनीय सामग्री, कोई पुस्तक या कागज आदि नहीं है। इनका होना अनुचित साधनों का प्रयोग में लाना माना जाएगा एवं तदनुसार दण्डनीय होगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थियों से चर्चा करना, उनकी उत्तरशीट/प्रश्नपुस्तिका से नकल करना अथवा अपनी उत्तरशीट/प्रश्नपुस्तिका से अन्य परीक्षार्थियों से नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से इन्हें बदलना, कक्ष में बोलना या बताना आदि, अनुचित साधनों के प्रयोग के अंतर्गत माना जाएगा एवं UFM के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आगे बिना किसी अन्य सुनवाई के उसकी संपूर्ण परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही, उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए, जो मण्डल उचित समझे, मण्डल की सभी परीक्षाओं से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।
- 2.11 **इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है** अर्थात् Scientific Calculator, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है। परीक्षार्थी द्वारा इस नियम में दिये गये किसी भी निर्देश का उल्लंघन करते पाए जाने पर इसे अनुचित साधन का प्रयोग (UFM) माना जावेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2.12 **त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक** :- परीक्षा उपरान्त मण्डल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं:-

1. प्रश्न की संरचना गलत हो।
2. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही हो।
3. कोई भी विकल्प सही न हो।
4. यदि प्रश्न-पत्रके किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
5. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो, जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो। प्रश्नपत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरणस्वरूप यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न-पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 81 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना इस प्रकार होगी :-

$$\frac{81 \times 100}{(100-2)} = 82.65$$

- 2.13 मूल्यांकन पद्धति :-** वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple Marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।
- 2.14 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-** प्रवेश नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा पात्र घोषित अभ्यर्थियों की सूची बनाई जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in पर देखा जा सकता है। परीक्षा परिणाम मण्डल कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध होगा। प्रदेश के प्रमुख समाचार-पत्रों में परीक्षा परिणाम संबंधी विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी
- 2.15 अंकसूची :-** परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों को यथाशीघ्र अंकसूची यू.पी.सी. डाक द्वारा भेजी जायेगी। डाक में विलंब अथवा मार्कशीट गुमने की स्थिति में मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा।

- 2.16 डुप्लीकेट अंकसूची :-** यदि कोई अभ्यर्थी अंकसूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे रुपये 100/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जमा करना/भेजना होगा। व्यक्तिगत रूप से डुप्लीकेट अंकसूची प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र मण्डल कार्यालय में अपरान्ह 1.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा।
- 2.17 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा:-** परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- 2.18 क्षेत्राधिकार :-** किसी भी परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

अध्याय-3

पाठ्यक्रम (Syllabus)

भौतिकी (Physics)

Units and dimensions, Dimensional analysis, S.I. Units, motion in two dimensions, Cases of uniform velocity and uniform acceleration, General relation among position and velocity, Uniform circular motion. Force and inertia, Newton's Laws of motion, conservation of momentum and energy. Static and kinetic friction. Work energy and power, Elastic collisions. Potential energy, gravitational potential energy and its angular conversion to kinetic energy. Potential energy of a spring. Rigid body rotation and conservation of its momentum, moment of inertia, theorems of parallel and perpendicular axis, moment of inertia of uniform ring, disc thin rod and cylinder only.

Acceleration due to gravity and its variation. Universal law of gravitation, geostationery satellites, escape velocity.

Hooke's law, Young's modulus, shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature.

Specific heats at constant volume and constant pressure. Mechanical equivalent of heat, isothermal and adiabatic processes.

Heat conduction in one dimension, convection and radiation. Stefan's law and Newton's law of cooling, Periodic motion, simple harmonic motion. Oscillations due to spring. Wave motion principle of superposition, Progressive and stationary waves, beats and Doppler's effect.

Wave nature of light, Interference, Young's double slit experiment, velocity of light and Doppler's effect in light.

Reflection, Refraction, total internal reflection, curved mirrors, lenses, mirror and lens formulas, dispersion in prism, absorption and emission spectra.

The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope microscope.

“e” and “e/m” for an electron, Einstein’s photoelectric equation, photocells.

Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, composition of nucleus, atomic masses and isotopes, radio activity, laws of radio active decay, decay constant, half life and mean life, Massenergy relation, fission, X-Ray properties and uses.

Elementary ideas of conductor, semi-conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semi-conductors, pn-junction as a rectifier.

Bar magnet, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth’s magnetic field tangent galvanometer, vibration magnetometer.

Coulmb’s law of electrostatics, dielectric constant electric field and potential due to a point charge, dipole field, guass’s law in simple geometrics.

Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacitors, capacitors in series and parallel, energy of a capacitor.

Electric current, Ohm’s law, Krichoff’s laws, resistances in series and parallel temperature dependance of resistance. Wheatstone bridge, potentiometer.

Measurement of voltages as currents.

Electric power heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis, thermoelectricity Biot-Savart law. Magnetic fields due to a straight wire, circular loop and solenoid.

Force on a moving charge in a magnetic field (Lorentz force), Magnetic moment of a current loop, effect of a uniform magnetic field of a current loop, forces between two currents, moving galvanometer, ammeter and voltmeter.

Electromagnetic induction induced emf, Faraday’s law, Lenz’s law, self and mutual inductance Alternating currents impedance and reactance, growth and decay of current in L-R curcuit, elementary idea of dynamo and transformer.

रसायन (Chemistry)

GENERAL AND PHYSICAL CHEMISTRY

1. Structure of Atom : constitution of nucleus : Bohr’s atom model : quantum numbers Aufbau principal, electronic configuration of elements (upto-Kr) : de Brobile relation, shapes of orbitals.

2. Chemical bond : Electrovalent, covalent and coordinate bonds, hybridisation (sp) hydrogen bond : shapes of molecules (VSEPR theory) : bond polarity resonance, Elements of VBT and MOT.
3. Solutions : Modes of expressing concentrations of solutions : Types of solutions; Raoult's law of colligative properties, non-ideal solution, abnormal molecular weights.
4. Solid State : Crystal lattices, unit cells, structure of ionic compounds: close packed structure, ionic radii, imperfections (Point defects): Properties of solids.
5. Nuclear Chemistry : Radio active radiations: Half-life, radioactive decay, group displacement law, Structure and properties of nucleus : Nuclear reactions, disintegration series, artificial transmutation: isotopes and their uses : Radio carbonating.
6. Chemical equilibrium., Law of mass action : K_p and K_c : Le Chatelier principle and its applications.
7. Ionic Equilibria in Solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts : pH; buffers.
8. Thermochemistry and Thermodynamics: Energy changes during a chemical reaction; intrinsic energy, enthalpy; First law of thermodynamics : Hess's Law Heats of reactions; Second law of thermodynamics; Entropy; free energy; spontaneity of a chemical reaction; free energy change and chemical equilibrium; free energy as energy available for useful work.
9. Chemical Kinetic: Rate of a reaction, factors affecting the rate, Rate constant, rate expression, order of reaction, first order rate constant-expression and characteristics, Arrhenous equation.
10. Electrochemistry: Oxidation, Oxidation number and ion-electron methods. Electrolytic conduction, Faraday's laws voltaic cell, electrode theory of corrosion.
11. Surface chemistry colloids and Catalysis; Adsorption, colloids (types, preparation and properties), emulsions, Micelles, Catalysis : Types and characteristics.

INORGANIC CHEMISTRY :

12. Principles of metallurgical operations : furnaces, ore concentration, extraction purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb and their properties.

13. Chemical periodicity : s.p.d and f-block elements, periodic table; periodicity : atomic and ionic radii valency, ionisation energy, electron affinity, electronegativity, metallic character.
14. Comparative study of elements : Comparative study of the following families of elements: (i) Alkali metals (ii) Alkaline earth metals (iii) Nitrogen family (iv) Oxygen family (v) Halogens (vi) Noble gases.
15. Transition metals : Electronic configuration of 3d-metal ions, oxidation states, other general characteristic properties. Potassium permanganate, potassium dichromate.
16. Co-ordination compounds: simple nomenclature, bonding and stability, classification and bonding in organometallics.
17. Chemical Analysis : chemistry involved in simple inorganic qualitative analysis : calculations based on acid-base titrimetry.

ORGANIC CHEMISTRY :

18. Calculation of empirical and molecular formulae of organic compounds, Nomenclature of organic compounds, common functional groups, isomerism, Structure and shapes of alkanes, alkenes and benzene.
19. Preparation properties and uses of alkynes, alkenes and alkyenes, benzene petroleum, cracking octane number, gasoline additives.
20. Nomenclature, Physical Chemical properties, correlation of physical properties with structure properties and uses of haloalkanes, halobenzenes, alcohols and phenols: general ideas of some polyhalogen compounds viz. dichloroethanes dichloroethers, chloroform, carbon tetrachloride, D.D.T. benzene, hexachloride.
21. Nomenclature methods of preparation, Chemical properties, correlations of physical properties with structures and uses of ethers, aldehydes, ketones carboxylic acids and their derivatives. Brief, account of the chemistry of cyanides, isocyanides, amines and nitro compounds.
22. Polymers : Classification : Preparation and uses of common natural and synthetic polymers.
23. Biomolecules : Classification, Structures and biological importance of carbohydrates, amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids.

वनस्पति (Botany) :

Structural organisation of cell, Cell theory : Light and electron Microscopic view of cell: Structure and function of cell organelles : Nucleus, Mitochondria. Chloroplast, endoplasmic reticulum. Golgi complex, lysosome, microbodies, microfilaments. Ribosomes, Centrioles, and Plasmids, Eukaryotic. chromosome (Morphology) cell wall and plasma membrane. differences between plant and animal cell; Cell Division, Cell cycle, significance of Mitosis and meiosis.

Mendel's Laws of inheritance, Monohybrid and dihybrid cross; Linkage and crossing over of genetic material: DNA replication genetic code, transcription, translation and gene regulation.

Difference between prokaryote and Eukaryotes; Structure, reproduction and economic importance of viruses, Mycoplasma, Bacteriophage, Cyanobacteria (Nostoc) and Bacteria.

Five Kingdom classification; binomial nomenclature; external morphology and life cycle of Spirogyra, Mucor, Funaria, Selaginella and Pinus.

Elementary Knowledge of Microsporogenesis, megasporogenesis, Fertilisation, endosperm and embryo development in Angiosperms.

Tissue of tissue systems, meristematic and permanent tissue, Mineral nutrition essential elements and their functions; Uptake of minerals, transport of water and solutes. Transpiration Photosynthesis and Respiration-Importance, mechanism and factors affecting these processes: Photorespiration.

Enzymes and growth hormones with reference to their classification. Chemical nature, mode of action and importance, Elementary idea of photoperiodism and phytochrome.

Ecosystem-structures and function; Major ecosystems i.e. Lake and Forest; food chain. Food Web and Energy flow. Ecological crisis-Role of man in Polluting environment-Air, Water and Soil.

Role of plants in human welfare : general knowledge of plant products of economic value-Drugs, Fibers, cereals.

(Wheat and Rice) Pulse (gram), Oil seeds (Ground nut). Sugarcane, Coal and Petroleum.

Food Preservation-Methods and importance.

Principles of plant breeding and its role in improvement of crops. biotechnology: Scope and importance in agriculture and industries-manufacture of cheese, yoghurt Alcohol Antibiotics.

प्राणी शास्त्र (Zoology):

MULTICELLULARITY - STRUCTURE AND FUNCTIONS OF ANIMAL LIFE :

- Structure and function of Animal tissues-Epithelial, Connective, Muscular, Skeletal and Nerve.
- Histology of Mammalian organs-Stomach, Intestine, Liver, Kidney, Lung, Testis and Ovary.
- Structure and physiology of different organ systems of Human body-Skin, digestive System, Respiratory System, Circulatory system, Excretory system, Nervous system, Reproductive system.
- Skeleton, Joints, Muscles on the basis of movement Receptors.
- Endocrine system with special reference to various Endocrine glands of man and Hormonal co-ordination.
- Vitamin & minerals. (source and disorders due to deficiencies)

DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND GENETICS :

- Female reproductive cycles in mammals. Gametogenesis alongwith structure of Sperm and Ovum. Types of eggs. Fertilization, cleavage, types of cleavage and blastula, Development of mammals upto three germinal layers. Foetal membranes, Structure and functions in mammals.
- Growth, repair and ageing, amniocentesis.
- Chromosomes, Types of chromosome, Human Karyotype and chromosomal abnormalities and syndromes, Hormonal, Chromosomal and Genic Balance theory of sex determination. Sex linkage and Sex linked inheritance in Man. Blood Groups and their significance. Blood bank.
- Tissue culture, genetic Engineering (Brief Idea). Mutation, gene mutation.
- Human population-Natality, Mortality, Sex ratio, Population explosion, dynamics of human life with respect to food supply, housing, health and standard living impact of population, problems and their control.

TAXONOMY EVOLUTION ECONOMIC ZOOLOGY:

- Classification-Binominal and trinominal nomenclature, Basic features of classification. classification of different animal phyla upto classes with characters and suitable examples.

- Origin of life. Theories, of Organic evolution-Darwin, Lamarck, Synthetic, Evidences of organic evolution, Human Evolution.
- Protozoan disease in relation to man. Insect carrying diseases in relation to man.
- Cancer-types of cancer and cancer cell. Communicable diseases (Hepatitis, AIDS) STD, Immune response, Vaccines and antisera, Allergies.
- Smoking, alcoholism and drug addiction, symptoms and control.
- Wild life conservation.
- Pesticides-Uses, advantages and hazards.

सामान्य अंग्रेजी (GENERAL ENGLISH) :

1. Reading comprehension.
2. Vocabulary items including synonyms and antonyms, word formation, Prefixes, Suffixes.
3. Grammar and usage :
 - (a) Articles and other determiners.
 - (b) Agreement between the subject and the verb.
 - (c) Time and tenses.
 - (d) Prepositions and phrasal verbs.
 - (e) Auxillaries including modals.
4. Transformation of sentences:
 - (a) Voices : active and passive
 - (b) Narration : direct and indirect
 - (c) Degrees if comparison
 - (d) Sentences types : Affirmative, negative and interrogative.
5. Common errors.
6. Spelling (the British pattern of spelling will be followed).


अध्याय-4

प्रमाण पत्रों का प्रारूप एवं अन्य विवरण

परीक्षा का प्रारंभ एवं ओ.एम.आर. में उत्तर अंकित करने की विधि :-


1. (क) अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर. उत्तरशीट में प्रविष्टियां जैसे नाम, रोल नं. आदि भरने के लिये परीक्षा आरंभ में मात्र 10 मिनट का समय दिया जाएगा।
- (ख) निर्धारित 10 मिनट के पश्चात् अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिका दी जावेगी, जिसमें अभ्यर्थी को निम्नानुसार कार्यवाही करना होगी :-
 - (i) प्रश्न पुस्तिका में चारों तरफ से लगी हुई कागज की सील देख लें। बिना कागज की सील लगी अथवा खुली हुई प्रश्न पुस्तिका स्वीकार न करें।
 - (ii) प्रश्न पुस्तिका के पृष्ठों तथा प्रश्नों की संख्या का मिलान इस मुख पृष्ठ पर दी गई संख्याओं से कर लें। यदि इसमें कोई भिन्नता हो तो कृपया प्रश्न पुस्तिका बदल लें। यह कार्यवाही आपको प्रश्न पुस्तिका मिलने के मिनट के अंदर करनी है। इसके पश्चात न तो प्रश्न पुस्तिका बदली जायेगी और न ही अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
 - (iii) प्रश्न पुस्तिका के जाँच के उपरांत प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक अपनी उत्तर शीट में अंकित करें एवं काले बाल प्वाइंट पेन से संबंधित गोलों को भरें।
2. (क) दी गई ओ.एम.आर. उत्तर शीट के पृष्ठ 1 के ऊपरी आधे हिस्से में अपना नाम, रोल नं., परीक्षा का नाम, परीक्षा केन्द्र का नाम, परीक्षा तिथि एवं प्रश्न-पुस्तिका की क्रम संख्या अंकित करें तथा अपने हस्ताक्षर भी करें। इसी पृष्ठ के निचले आधे हिस्से में सबसे ऊपर की लाइन में बने चौखाने में अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में प्रथमतः अपना सरनेम एवं इसके पश्चात् नाम लिखें। एक चौखाने में एक ही अक्षर लिखें, फिर प्रत्येक अक्षर के नीचे उसी अक्षर वाले गोले को काले बाल प्वाइंट पेन से गहरा काला भरें।
- (ख) ओ.एम.आर. उत्तर शीट के पृष्ठ क्र. 2 पर रोल नं., आदि चौखाने में लिखें एवं संबंधित गोले को काले बाल प्वाइंट पेन से काला करें।

(ग) ओ.एम.आर. उत्तर शीट के पृष्ठ क्र. 2 पर प्रश्नों के उत्तर अंकित किया जाना है।

3. ओ.एम.आर. उत्तर शीट में काले बाल प्वाइंट पेन से भरे गोलों  की प्रविष्टियों को ही पढ़ती है। अतः परीक्षार्थियों को सचेत किया जाता है कि वे ओ.एम.आर. उत्तर शीट के पृष्ठ 1 व 2 पर प्रविष्टियों को भरते समय पूर्ण सावधानी बरतें एवं कोई त्रुटि न करें।
4. ओ.एम.आर. उत्तर-शीट पर निर्धारित स्थानों पर वांछित प्रविष्टियों को पूर्ण करने के अतिरिक्त अन्य कुछ न लिखें।
5. ओ.एम.आर. उत्तरशीटों में उत्तर अंकित करने की विधि :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अभ्यर्थी को चार संभावित उत्तरों में से केवल एक उत्तर चुनना है। इस चुने हुए उत्तर के गोले को बाल प्वाइंट पेन से काला करें। यदि असावधानीवश किसी अन्य गोले में अभ्यर्थी द्वारा कोई चिन्ह लग जाता है, या रेखा खिंच जाती है तो पूरी संभावना है कि ओ.एम.आर. स्कैनर द्वारा इसे 'पढ़' लिया जावेगा, जिसका प्रभाव उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन पर होगा। अतः अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका के रखरखाव में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।

उदाहरण :-



6. मूल्यांकन पद्धति :

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple Marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

7. उत्तर शीट एवं प्रश्न पुस्तिका वीक्षक को सौंपना :

(i) वीक्षक को ओ.एम.आर. उत्तरशीट सौंपने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. उत्तर शीट के दोनों पृष्ठों पर सभी प्रविष्टियाँ जैसे-नाम, रोल नम्बर, हस्ताक्षर, प्रश्न पुस्तिका का नम्बर, आदि निर्धारित स्थान पर अंकित कर दिये गए हैं।

- (ii) परीक्षा उपरान्त परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं है यदि अभ्यर्थी जाने-अनजाने में प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाता है तो उसे यू.एफ.एम. प्रकरण के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

8. ओ.एम.आर. उत्तरशीट के उपयोग में सावधानी :

ओ.एम.आर. उत्तरशीट का उपयोग करते समय पूर्ण से सावधानी बरतें। इसे फटने, मोड़ने या सलवट पड़ने से खराब न होने दें।

चेक लिस्ट

आवेदक भरा हुआ आवेदन-पत्र मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को प्रेषित करने के पूर्व निम्न चेक लिस्ट से मिलान अवश्यक करें।

निम्नानुसार प्रविष्टियों की पूर्ति के समय की गई एक त्रुटि भी आपके आवेदन पत्र को निरस्त कर सकती है।

निम्न प्रविष्टियों की जाँच करें एवं सही पाये जान पर (✓) टिक करें।

1. क्या आपने ओ. एम. आर. आवेदन पत्र के सभी चौखानों एवं गोलों में आवश्यकतानुसार प्रविष्टियाँ कर दी हैं?
2. क्या आपने निर्धारित स्थान पर फोटो चस्पा किया है?
3. क्या आपने निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर किये हैं?
4. क्या आपने स्वयं का पूरा पता लिखा पिनकोड सहित तथा रुपये 6/- (छः रुपये मात्र) का डाक टिकट का पोस्टकार्ड संलग्न कर दिया है?
5. क्या आपने भीतरी लिफाफे (I) में भरा हुआ ओ.एम.आर. बिना मोड़े रख दिया है?
6. क्या आपने भर हुये ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की फोटो कॉपी अपने पास सुरक्षित रख ली है?
7. क्या आपने भीतरी लिफाफे में ओ.एम.आर. एवं 6/- रुपये के डाक टिकट लगा पोस्टकार्ड बाहरी लिफाफे में रख दिया है?

भरे हुए आवेदन पत्र का नमूना

M.P. Professional Examination Board, Bhopal (M.P.)
APPLICATION FORM FOR GENERAL NURSING SELECTION TEST
(GNTST 2008)

PLEASE REFER TO THE RULE BOOK FOR FILLING EACH ITEM BELOW
 (ONLY FOR M.P. DOMICILE FEMALE CANDIDATES)

IN BOXES WRITE WITH BLACK BALL POINT PEN
 NUMBERS ARE TO BE DASHED BY HB PENCIL ONLY.

FOR OFFICE
 USE ONLY: ▶

1. SURNAME OF THE CANDIDATE

K H A R E

2. NAME OF THE CANDIDATE

A L K A

3. NAME OF THE CHILDREN

R A M N A G E S H K H A R E

4. DATE OF BIRTH *

DATE: 23 MONTH: JAN YEAR: 1982

5. CATEGORY *

UNRESERVED YES
 ST NO
 BC YES
 OBC NO

6. ARE YOU A DOMICILE OF M.P. ? *
 (As per Rule 1.3.1)

YES
 NO

7. ARE YOU A

WIDOW YES
 DIVORCEE YES
 NOT APPLICABLE NO

8. HAVE YOU PASSED XI OF (10+2) WITH PHYSICS, CHEMISTRY & BIOLOGY FROM M.P. BOARD OR ANY OF THE CENTRAL SCHOOLS OF M.P. (As per Rule 1.3.2)

YES NO

OR

9. ARE YOU APPEARING IN XI OF (10+2) IN 2008 (As per Rule 1.3.2.1)

YES NO

10. EXAM CITY

BHOPAL
 INDORE
 JASALPUR

* COMPULSORY FOR ADMISSION AND RESULT. REST OF THE INFORMATION IS FOR STATISTICAL USE ONLY.

RSP-VV-20

11. PHOTOGRAPH *

PASTE PHOTOGRAPH

BACKGROUND OF PHOTOGRAPH MUST BE WHITE (WRITE YOUR NAME & FORM NO. ON THE BACKSIDE OF PHOTOGRAPH)

Alka

FOR OFFICE USE ONLY: ▶

12. WRITE YOUR COMPLETE MAILING ADDRESS WITH BLACK BALL POINT PEN

NAME: ALKA KHARE

ADDRESS: 321-E
 RAM NAGAR
 SATNA PIN CODE: 485004

GNTST - 2008

PHOTO ADDRESS SLIP

SIGNATURE *
 (Signature must be in side Slip)

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रपत्र-1 : उम्मीदवार के पिता /माता /वैध अभिभावक का शपथ-पत्र (केवल अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए)

नाम	:	_____
पिता का नाम	:	_____
जाति/जनजाति (अनुसूची का क्रमांक)	:	_____
धर्म	:	_____
व्यवसाय	:	_____
पता	:	_____ _____

मैं शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि :-

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अन्तर्गत जिला(म.प्र.)
के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
की सदस्य हूँ।

अथवा

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जिला के
समक्ष जाति प्रमाण-पत्र करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक को प्रस्तुत किया
गया है। उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

.....

टिप्पणी :- जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट दें एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें ।

प्रपत्र-2 : उम्मीदवार के पिता माता वैध अभिभावक का शपथ-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक प्रकरण क्रमांक.....
प्रमाण-पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पिता/पति का नाम.....निवासी/ग्राम/नगर.
..... वि.ख. तहसील.....
जिला.....संभाग..... जाति/जनजाति का/
की सदस्य है और जाति / जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति
/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह.....जाति/जनजाति
अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....
पर अंकित हैं। अतः श्री/श्रीमती/कुमार
पिता/पति का नाम..... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की
है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये
हैं.उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

दिनांक :

(सील)

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

- टिप्पणी :-
1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति ।
 2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर /डिप्टी कलेक्टर /एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उप संभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक अधिकारी, वृहत्/मध्य/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण-पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जाँच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर ।

प्रपत्र -3 :

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत कियेजाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप : नियम

1.2.2 देखें

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि कु. /श्रीमती (परीक्षार्थी का नाम)
 आत्मज श्री/श्रीमती निवासी
 ग्राम/नगर जिला/संभाग..... म.प्र. के निवासी हैं,
 जो जिला के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति,
 अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 8.5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1994
 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

कु./श्रीमती (पिता/माता/पति का नाम)
 और /या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला संभाग..... में
 निवास करता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
 (पिता/माता/पति का नाम) क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते/आती हैं, जिसका उल्लेख भारत
 सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रं. 360/2/22/93/स्था. (एस.सी.टी.), दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी
 सूची के कॉलम-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1/आ. प्र., दिनांक
 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट -ई की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

हस्ताक्षर

दिनांक

प्राधिकृत अधिकारी का नाम
 पदनाम
 (सील)

प्रपत्र-4

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम) श्री/ कुमारी
.....के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और
स्थायी रूप से (स्थान)
तहसील जिला..... में स्थायी रूप से व्यवस्थापित हो गये हैं।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :-

दिनांक

(कार्यालय सील)

प्रपत्र - 5 अधिवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी
आत्मजा पत्नी श्री.....
ने नियमित छात्रा के रूप में इस संख्या(संस्था का नाम)
में सत्र से सत्र तक अध्ययन किया है।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

स्थान

नाम एवं पद

दिनांक

(कार्यालय सील)

प्रपत्र- 6 : वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी
 आत्मजा/पत्नी/श्री/श्रीमती जो तहसील
 जिला मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह

(1) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/ हुई है।

अथवा

(2) वह /उसका पालक/ वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा/रही है।

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त -

(1) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

(2) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10 2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान

.....

दिनांक

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम एवं सील

टिप्पणी : जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रपत्र- 7 : वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी
श्री/श्रीमती का /की/पुत्री
है।

(क) जो विभाग में पद
पर (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी
है।

अथवा

(ख) जो विभाग में पद
पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो
(तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो विभाग में
पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा के रहते हुए
(तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो विभाग में पद
पर पदस्थ मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं।

दिनांक

.....
कार्यालय प्रमुख /सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालयीन सील)

प्रपत्र- 8: वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी
श्री/श्रीमती का /की/पुत्री
है, जो दिनांक 1 जनवरी 2006 को अथवा उसके पूर्व कि तिथि में मध्यप्रदेश
में स्थित विभाग में पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/
सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी है।

स्थान

दिनांक

.....
कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम एवं पद

(कार्यालयीन सील)

प्रपत्र- 9 : मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी
श्री/श्रीमती का /की/पुत्री
है, जो योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन
/मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुनर्व्यवस्थापन योजना (Resettlement Scheme) है ।


स्थान

दिनांक

.....
कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम एवं पद

(कार्यालयीन सील)



(स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु)
(For Appointment Against the Post of Staff Nurses)

GNTST 2008

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा (केवल लड़कियों के लिये)
GENERAL NURSING TRAINING SELECTION TEST (FOR GIRLS ONLY)

परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम

● नियम पुस्तिका एवं आवेदन-पत्र का विक्रय	प्रारंभ होने की तिथि	05-03-08
● नियम पुस्तिका एवं आवेदन-पत्र विक्रय की	अंतिम तिथि	24-03-08
● भरे हुये आवेदन-पत्र मण्डल कार्यालय में प्राप्त होने की (डाक द्वारा या व्यक्तिगत हस्ते)	अंतिम तिथि	31-03-08
● परीक्षा तिथि	रविवार	04-05-08
● नियम पुस्तिका सह परीक्षा शुल्क		
अनुसूचित जाति/अनुसूचित श्रेणी के आवेदकों हेतु		150/-
अन्य पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु		300/-
● ऑनलाइन से आवेदन भरने की तिथि	05-03-08 से	31-03-08

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462 011
फोन नं. 0755 - 2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498
ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाइट : www.vyapam.nic.in

संक्षेपाक्षर
ABBREVIATIONS

Abbreviations	Full form
MPPEB	Madhya Pradesh Professional Examination Board मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल
RASA	Record of Answer Sheets & Attendance उपस्थिति एवं उत्तरशीटों का रिकार्ड
OMR	Optical Mark Reader/ऑप्टिकल मार्क रीडर
CAT	Category/श्रेणी
UR	Unreserved/अनारक्षित
SC	Scheduled Caste/अनुसूचित जाति
ST	Scheduled Tribe/अनुसूचित जनजाति
OBC	Other Backward Classes/अन्य पिछड़ावर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)
X	Nil/ बिना संवर्ग
H	Handicapped/विकलांग
UFM	Unfair Means /अनुचित साधन
TAC	Test Admit Card /परीक्षा प्रवेश-पत्र
UPC	Under Postal Certificate /अण्डर पोस्टर सर्टिफिकेट



मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
जी.एन.टी.एस.टी. -2008 की परीक्षा

समय सारणी

परीक्षा का दिन दिनांक	परीक्षा प्रारंभ	उत्तरशीटों का वितरण	उत्तरशीटों में चाही गई जानकारी भरना	प्रश्न-पुस्तिकाओं का प्रदाय	प्रश्न-पुस्तिकाओं की जाँच करना	उत्तरशीट पर उत्तर अंकित करना
रविवार 04-05-08	प्रातः 10 बजे	प्रातः 10 बजे	प्रातः 10 बजे 10.10 तक =10 मिनट	प्रातः 10.10 बजे	प्रातः 10.10 बजे 10.15 तक =5 मिनट	10.15 बजे 1.15 बजे तक =3 घण्टे

नोट : परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद परीक्षा केन्द्र में पहुँचने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी ।